प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उ0प्र0शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक : 16 नवम्बर, 2016

विषयः सेवानिवृत्त अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान प्रकरणों के साथ चेक लिस्ट के सभी कॉलम में उपयुक्त प्रविष्टि दर्ज किए जाने विषयक।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का सही रूप से रख-रखाव सुनिश्चित करने, सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से भुगतान करने एवं इस संबंध में महालेखाकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु शासन स्तर से समय-समय पर निर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं। इसी संदर्भ में महालेखाकार कार्यालय द्वारा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि सेवानिवृत्त अभिदाताओं के जी0पी0एफ0 के अंतिम भुगतान के प्रकरणों में होने वाले विलम्ब को रोकने के लिए उनके द्वारा एक चेक लिस्ट तैयार की गयी है जिसमें दिए गए बिन्दुओं के अनुपालन की महालेखाकार कार्यालय द्वारा अपेक्षा की गयी है।

2- अतः इस संबंध में महालेखाकार कार्यालय द्वारा तैयार की गयी चेक लिस्ट संलग्न करते हुए मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सेवानिवृत्त अभिदाताओं के अंतिम भुगतान प्रकरणों को महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते समय आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा चेक लिस्ट के सभी कॉलम में उपयुक्त प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्रकरण महालेखाकार कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों को निर्धारित समयावधि के अन्दर जी0पी0एफ0 का भुगतान किया जा सके।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 11/2016 /जी-2-181 (1)/दस-2016-2/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

4 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

5. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय महालेखाकार को अन्तिम भुगतान प्रकरण प्रेषित करने हेतु अग्रेषण ज्ञापन

1- अभिदाता का नाम---------- सा0भ0नि0 खाता सं0- ----------

2- आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम व पता ----------

3- अभिदाता का वर्तमान पता ----------

4- सा0भ0नि0 का अन्तिम भुगतान करने का आधार (कृपया उचित खाने में सही का निशान लगाये)

I सा0भ0नि0 से आबद्ध अन्य विभाग / सरकार में स्थानान्तरण या नौकरी छोड़ना (उ0प्र0 सा0भ0नि0 नियमावली 1985 के नियम 20 के अंतर्गत)

II (नियम 21 के अंतर्गत) अधिवर्षिता

III मृत्यु (नियम 22 के अंतर्गत)

5- अभिदाता के नौकरी छोडने / स्थानान्तरण / सेवानिवृत्ति /मृत्यु की तिथि ----------

6- उस अधिकारी का पदनाम व पता जिसके पक्ष में स्थानान्तरित अभिदाता की राशि स्थानान्तरित की जानी है (उ0प्र0 सा0भ0नि0 नियमावली 1985 के नियम 20 के अंतर्गत)

(ब) स्थानान्तरित विभाग में आवंटित नया खाता संख्या----------

7- अभिदाता के पासबुक के मिलान का विवरण ----------

(अ-) महालेखाकार द्वारा निर्गत मिलान पत्र की संख्या व दिनांक ----------

(ब-) जिस अवधि तक सा0भ0नि0 पासबुक का मिलान महालेखाकार द्वारा किया गया है

(स-) महालेखाकार द्वारा सूचित राशि ----------

(द-) मिलान वर्ष के बाद यदि कोई निकासी हो तो उसका विवरण ----------

रू0 ---------- प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ----------

रू0 ---------- प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ----------

रू0 ---------- प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ----------

रू0 ---------- प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ----------

8- अभिदाता की अधिवर्षता से पिछले छः माह पूर्व तक की निकासी का विवरण ----------

----------रू0 ---------- प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ----------

9- अभिदाता को लिए गए 90 प्रतिशत अवशेष के भुगतान का विवरण ---------- संस्वीकृति संख्या तथा दिनांक ---------- भुगतान की गयी राशि ----------प्रमाणक संख्या तथा दिनांक ------

10- संलग्न अभिलेखों की सूची-

1- अभिदाता की सा0भ0नि0 की मूलपास बुक ।

2- प्रपत्र संख्या 425 क ।

3- 90 प्रतिशत के भुगतान के लिए संस्वीकृति आदेश की प्रतियॉ ।

4- अभिदाता के खाते में पिछले 5 वर्षो मे लिए गए अभिदान का गणना प्रपत्र ।

5- महालेखाकार से मिलान पत्र की प्राप्ति के पश्चात 90 प्रतिशत अवशेष के संवितरण में यदि कोई विलम्ब हो तो विलम्ब का कारण विलम्ब की अवधि में नियुक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम के साथ (पृथक प्रपत्र पर)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- महालेखाकार को अन्तिम भुगतान प्रकरण 10 प्रतिशत के प्रेषित करने में यदि कोई विलम्ब हो तो विलम्ब का कारण विलम्ब की अवधि में नियुक्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम के साथ (पृथक प्रपत्र पर) प्रेषण।

7- महालेखाकार को अन्तिम भुगतान प्रकरण की जॉच सूची।

8- रोकी गयी धनराशियॉ के सत्यापन हेतु महालेखाकार द्वारा निर्गत मिलान पत्र द्वारा यथा वांछित अन्य दस्तावेज ।

हस्ताक्षर
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)
मुहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कार्यालय महालेखाकार को अन्तिम भुगतान जमा करने हेतु जॉच सूची

पासबुक

1-	अभिदाता की पासबुक मूल रूप में संलग्न है।	
2-	सा0भ0नि0 अभिदान के प्रारम्भ से अथवा सन 1978-79 से अभिदाता के पास बुक का अनुरक्षण लिया गया है।	
3-	पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर सभी स्तम्भ जो कि अभिदाता की व्यक्तिगत सूचनाओं से संबंधित है, को अच्छी तरह से भरा गया है तथा अभिदाता द्वारा हस्ताक्षरित है।	
4-	उत्तरवर्ती पृष्ठों पर अभिदाता की नियुक्ति विवरणिका भली प्रकार भरी गयी है तथा सम्बद्ध आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।	
5-	पासबुक पर अभिदाता का नाम व संख्या महालेखाकार द्वारा निर्गत आवंटन पत्र में उल्लिखित नाम व संख्या से मेल खाता है।	
6-	यदि बाद में अभिदाता के नाम में कोई परिवर्तन हुआ हो तो इसे सुसंगत विवरणों के साथ महालेखाकार को सूचित कर दिया गया है तथा सुधार करा लिया गया है (जो कि अभिदाता को निर्गत वार्षिक लेखापर्ची में प्रदर्शित हो)।	
7-	वर्ष 1978-79 से पूर्व के अभिदान जो अभिदाता की पासबुक में आरम्भिक अवशेष के रूप में दर्शाये गये है को महालेखाकार द्वारा निर्गत लेखापर्ची से लिया गया है।	
8-	चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाता से स्थानान्तरित राशि के लिए चालान की मूल प्रति पासबुक में संलग्न चिपका दी गयी है ।	
9-	यदि चतुर्थ श्रेणी सा0भ0नि0 खाता से स्थानान्तरित राशि का चालान एक से अधिक अभिदाताओं के लिए संयुक्त रूप से तैयार किया गया है तो अभिदाता वार अलग-अलग राशि उनके तृतीय श्रेणी खाते में जमा कर दिया गया है तथा अभिदाता का नाम व नम्बर स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए चालान संलग्न कर दिया गया है ।	
10-	सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व तक के अंतिम अभिदान तक सभी वर्षो का विवरण तथा यदि कोई अनधिकृत अभिदान हो तो उसका विवरण पासबुक में निरन्तर कालक्रमानुसार उल्लिखित है तथा कोई भी वर्ष छूटा नही है ।	
11-	सा0भ0नि0 पासबुक के सभी स्तम्भ जिसमें प्रमाणक संख्या प्रमाणकों का योग अभिदान की प्रकृति सम्मिलित है को विधिवत भरा गया है तथा सम्बद्ध आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है।	
12-	अभिदान के प्रतिदाय को माह के नियमित अभिदान से अलग प्रदर्शित किया गया है	
13-	प्रमाणक अनुसार सा0भ0नि0 के अभिदत्त बकाया का विवरण पासबुक में अलग से बकाया की मद तथा अवधि स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए अंकित है न कि उसी में सम्मिलित ।	
14-	वापसी के समर्थन में अग्रिमों का समरूप प्रविष्टियॉ पासबुक में दर्ज कर ली गयी है तथा वापसी की किश्त संख्या ठीक से चिन्हित कर ली गयी।	
15-	सभी निकासियों के लिए प्रमाणक संख्या तथा दिनांक स्वीकृति के पूर्ण विवरण के साथ उल्लिखित किए गए है।	
16-	निकासी स्तम्भ को स्पष्ट अंकित करके 'शून्य' रूप में सत्यापित किया गया है तथा जिन वर्षो में निकासी नही की गयी है उसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया है तथा किसी भी वर्ष के स्तम्भ को रिक्त नही छोडा गया है।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17-	कालातीत / निरस्त चेक के विरूद्ध संवितरण हेतु उसी संस्वीकृति आदेश पर नये बिल की निकासी की स्थिति में इसे पासबुक के निकासी स्तम्भ में प्रमाणक संख्या एवं प्रमाणक के गैर अदायगी हेतु कारण सहित प्रमाण पत्र रूप से अंकित कर दिया है।	
18-	पासबुक के प्रत्येक पृष्ठ पर वर्ष में दो बार अभिदाता के हस्ताक्षर लिए गए है।	
19-	महालेखाकार द्वारा उल्लिखित मिलान पत्र की सभी विसंगतियॉ पासबुक में सुधार ली गयी है तथा तदनुसार प्रमाणित किया गया है।	
20-	अभिदाता को किए गए 90 प्रतिशत भुगतान का विवरण जैसे स्वीकृति संख्या तथा दिनांक एवं यदि भुगतान में विलम्ब हो तो भुगतान की तारीख पासबुक के संबंधित पृष्ठ पर अंकित किया गया है ।	

अन्तिम भुगतान प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समय सीमा या (अनुसूचित समय)

21-	सा0भ0नि0 (उ0प्र0) नियम 1985 के नियम 24 के प्रावधान के अनुपालन में अधिवर्षता प्राप्त करने वाले अभिदाताओं का अन्तिम भुगतान प्रकरण उनके सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व महालेखाकार को भेज दिया गया है।	
22-	मृत तथा स्थानान्तरित अभिदाताओं के प्रकरण उनकी मृत्यु / स्थानान्तरण / सेवा छोडने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर महालेखाकार को अग्रेसित कर दिया गया है।	
23-	सा0भ0नि0 (उ0प्र0) नियम 1985 की अनुसूची-2 के अधीन यथा चिहिन्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 प्रतिशत राशि के लिए अभिदाता को उससे प्रारूप 425 'क' प्राप्त करने की प्रतीक्षा किए बिना महालेखाकार के 10 प्रतिशत अन्तिम भुगतान प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व ही स्वीकृति दे दी गयी है।	
24-	सेवानिवृत्ति की तिथि को अभिदाता को महालेखाकार द्वारा सत्यापित अवशेष के अनुसार 90 प्रतिशत अवशेष का भुगतान कर दिया गया है।	
25-	प्रकरण प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब का कारण विलम्ब की अवधि में तैनात आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम के साथ अलग प्रपत्र पर संलग्न है।	
26-	19-02-2000 से पूर्व के प्रकरण के लिए प्रारूप 425 'क' की प्रस्तुति में विलम्ब का कारण न्यायोचित तथा अभिदाता के नियंत्रण से परे पाये जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विलम्ब के अधित्याग का आदेश के साथ स्पष्टत: अंकित है।	

अनुदेशों का अनुपालन

27-	शासनादेश संख्या वित्त सामान्य अनुभाग-4 /सा-4-359-दस-96, दिनांक 18-06-1996 के प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश के अनुपालन में अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान से पहले उसके पासबुक का महालेखाकार द्वारा अनुरक्षित लेखे से मिलान किया गया है।	
28-	अभिदाता को 90 प्रतिशत भुगतान पूर्णत: महालेखाकार द्वारा सूचित अवशेष के अनुरूप किया गया है ।	
29-	अभिदाता को 90 प्रतिशत अवशेष भुगतान से पूर्व अभिदाता के पासबुक का महालेखाकार से मिलान नही किए जाने का कारण तथा मिलान नही कराये जाने के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों के नाम के साथ अलग प्रपत्र पर संलग्न है।	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

30-	महालेखाकार को पूर्व सूचित किए बिना अभिदाता को सेवानिवृत्ति से छः माह पूर्व किसी निकासी की स्वीकृति नही दी गयी है (नेट-11(13) नियम 16 सा0भ0नि0 नियमावली 1985)।	
31-	पिछले पॉच वर्षो के दौरान अभिदाता के खाते से लिए गए सभी निकासियॉ अभिलिखित है तथा प्रारूप 425 के भाग 5 पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।	
32-	अभिदाता की सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 5 वर्षो के गणना प्रपत्र उस पर वार्षिक लेखा बन्दी के साथ समुचित रूप से तैयार किए गए है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित है।	

<u>अन्तिम भुगतान प्रकरण के प्रस्तुत संलग्नक</u>

33-	अग्रेषण ज्ञाप के पैरा-10 में उल्लिखित सभी अभिलेख प्रकरण के साथ संलग्न है ।	
34-	सा0भ0नि0 पासबुक में की गयी प्रविष्टियों के सत्यापन /रोकी गयी है राशि की निर्युक्ति के लिए महालेखाकार द्वारा निर्गत मिलान पत्र के माध्यम से मॉगे गये सभी अभिलेख संलग्न किए गए है तथा इन अभिलेखों की एक सूची अन्तिम भुगतान प्रकरण के अग्रेषण ज्ञाप पर तैयार किया गया है ।	

हस्ताक्षर
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)
मुहर

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।